

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)
Appearing on Page Nos. 926—964

Dated 30-7-2011

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 220.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (योधक पराचिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 1995 को, जहां तक उसका संबंध सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ), सहायक उप निरीक्षक (रेडियोग्राफर), सहायक उप निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीशियन), सहायक उप निरीक्षक (इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी तकनीशियन), सहायक उप निरीक्षक (आपरेशन थिएटर तकनीशियन), सहायक उप निरीक्षक (डेंटिस्ट तकनीशियन/डेंटल तकनीशियन), हैड कांस्टेबल (कनिष्ठ एक्स-रे सहायक), हैड कांस्टेबल (प्रयोगशाला सहायक), हैड कांस्टेबल (परिचर्या सहायक), हैड कांस्टेबल (पराचिकित्सकीय), हैड कांस्टेबल (परिचारिका या परिचारिता प्रसूतिविधा), हैड कांस्टेबल (बिजली मिस्री), हैड कांस्टेबल (वातानुकूलन संयंत्र), कांस्टेबल (परिचर्या सहायक/आया/ड्रेसर) पदों से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह "ग" (योधक पराचिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. सीधे भर्ती के लिए शारीरिक मानक.—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती मैनुअल, 1975 के भाग 4 के अनुसार

(क) ऊँचाई : पुरुषों के लिए - 170 से.मी. :

स्त्रियों के लिए - 157 से.मी.

(ख) सीना : पुरुषों के लिए - बिना फुलाए-80 से.मी. और फुलाने पर - न्यूनतम फुलाव 5 से.मी.

स्त्रियों के लिए - लागू नहीं

(ग) वजन : पुरुष और महिलाओं के लिए - चिकित्सीय मानक के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में।

(घ) दृष्टि : बिना सुधार के अर्थात् बिना चश्मा पहने दोनों आँखों की न्यूनतम दूरी दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।

(ङ) अभ्यर्थियों को सहज जातु, चपटा पांव, फूली हुई नसों या तिर्यक आँख वाला नहीं होना चाहिए। उन्हें उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा आने की सम्भावना न हो।

6. शिथिलीकरण.—अनुसूचित जनजातियों और पहाड़ के लोगों को ऊँचाई और सीना में शिथिलता अनुज्ञात की जाएगी।

(1) ऊँचाई : गढ़वाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य के लेह-लद्दाख क्षेत्र से संबंधित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 से.मी. होगी। स्त्रियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 155 से.मी. होगी। अनुसूचित जनजातियों के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 162.5 से.मी. होगी और स्त्रियों के लिए 150 से.मी. होगी।

(1)

लिए

(8)

2. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी संस्थान या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान की गई भेषज में डिग्री या डिप्लोमा।
3. भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषज के रूप में रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिसमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर स्थानान्तरण :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों के अधीन समतुल्य या समुदाय पद धारण कर रहे व्यक्ति और जो स्तंभ (8) के अधीन विहित अर्हताएं रखते हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाए इसके जहाँ सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है जहाँ यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा

(13)

(14)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2. सहायक

1* (2011)

साधारण

5200—

चयन-सह-ज्येष्ठता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

उप निरीक्षक (रेडियोग्राफर)

*कार्यभार के आधार पर

केन्द्रीय सेवा

20200 रु.

परिवर्तन किया जा सकता है।

समूह "ग",

+ ग्रेड वेतन

अराजपत्रित,

2800 रु.

अननुसचिवीय

(योधक)

(13)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(14)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सहायक उप निरीक्षक (भौतिक चिकित्सक)	17* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	20 और 25 वर्ष के बीच । (आयु के लिए अंतिम तारीख प्रत्येक वर्ष की 1 अगस्त होगी)

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान एक विषय सहित इंटरमीडिएट या 10+2 या समतुल्य ।
2. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से भौतिक चिकित्सा में बेचुलर या तीन वर्षीय भौतिक चिकित्सा में डिप्लोमा ।
3. भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए ।

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा

प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर स्थानान्तरण :

ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों के अधीन समतुल्य या सदृश पद धारण कर रहे हैं और स्तंभ (8) के अधीन विहित अर्हताएं रखते हों ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए जहां सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है जहां यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

2890HA/11-2

प्रतिनियुक्ति या आमेलन :

ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वशासी निकायों के अधीन समतुल्य या सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (8) में विहित अर्हताएं हैं।

पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(13)

(14)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. सहायक उप निरीक्षक (इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राफी तकनीशियन)	4* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	20 और 25 वर्ष के बीच। (आयु के लिए अंतिम तारीख प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त होगी)

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान एक विषय के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य;

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राफी प्रौद्योगिकी में प्रमाण-पत्र।

48

(11)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा

(12)

प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर स्थानान्तरण :

ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों के अधीन समतुल्य या सदृश पद धारण कर रहे हैं और स्तंभ (8) के अधीन विहित अर्हताएं रखते हों।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए जहां सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(13)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(14)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. सहायक उप निरीक्षक (दंत्य तकनीशियन)	*21 (2011) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	20 और 25 वर्ष के बीच। (आयु के लिए अंतिम तारीख प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त होगी)

(8)

आवश्यक :

(9)

(10)

(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान एक विषय के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य;

(ख) भारतीय दंत्य परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त दो वर्षीय दंत स्वास्थ्य विज्ञानी पाठ्यक्रम।

2890 HA/11-3



(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या स्थानान्तरण

प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर स्थानान्तरण :

ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों के अधीन समतुल्य या सदृश पद धारण कर रहे हैं और स्तंभ (8) के अधीन विहित अर्हताएं रखते हों।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए जहां सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(13)

(14)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. हैड. कांस्टेबल (प्रयोगशाला सहायक)	*8 (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)	5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	20 और 25 वर्ष के बीच। (आयु के लिए अंतिम तारीख प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त होगी)

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान एक विषय के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य;

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी संस्थान या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला सहायक पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र।

(11)

पदोन्नति द्वारा

(12)

पदोन्नति :

ऐसे कांस्टेबल (परिचर्या सहायक/आया/ड्रेसर) या गैर योद्धक परिचर्या सहायक/आया/ड्रेसर में से जिन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी-अपनी श्रेणी (श्रेणियों) में कम से कम पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या एक वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो यदि विहित की जाए।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(14)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. हैड कांस्टेबल (पराचिकित्सकीय)	36* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसूचित (योद्धक)	5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 और 25 वर्ष के बीच। (आयु के लिए अंतिम तारीख प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त होगी)

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10 + 2 या समतुल्य;

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भेषजी में डिप्लोमा और भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो।

2890 HA/11-4

जिसके
में इस
पद पर
गी।

(8)

(9)

(10)

1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य;
2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सहायक परिचर्या प्रसूतिविधा पाठ्यक्रम।
3. साधारण परिचारिका या सेविका (मिडवाइफ) के रूप में केन्द्रीय या राज्य परिचारिका परिषद् में रजिस्ट्रीकृत।

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा और सेना, अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों या केन्द्रीय राज्य पुलिस संगठनों, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार अस्पतालों से प्रतिनियुक्ति या सविदात्मक आधार पर 50%।
टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए जहां सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

स्तंभ (11) के अधीन यथा विहित प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

(14)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (चयन एवं पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

13. हैड कांस्टेबल 4* (2011) साधारण 5200— लागू नहीं लागू नहीं होता 20 और 25 वर्ष के बीच।
(बिजली मिस्त्री) *कार्यभार के केन्द्रीय सेवा 20200 रु. होता (आयु के लिए निर्णायक तारीख
आधार पर समूह "ग", + ग्रेड वेतन प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त होगी)
परिवर्तन किया अराजपत्रित, 2400 रु.
जा सकता है। अननुसचिवीय
(योधक)

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

दो वर्ष

1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य;
2. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित और वातानुकूलन में डिप्लोमा अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय शिक्षता।

(11)

(12)

सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या स्थानान्तरण :

ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों के अधीन समतुल्य या सदृश पद धारण कर रहे हैं और स्तंभ (8) के अधीन विहित अर्हताएं रखते हों।

पोषक वर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को 50 वर्ष से अधिक होगी।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेसन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए जहां सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(13)

(14)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

15. हैड कांस्टेबल/स्टुवर्ड

*21 (2011)

साधारण

वेतन बैंड

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

18 और 23 वर्ष के बीच।

*कार्यभार के

केन्द्रीय सेवा

5200—

(आयु के लिए निर्णायक तारीख

आधार पर

समूह "ग",

20200 रु.

प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त होगी)

परिवर्तन किया

अराजपत्रित,

+ ग्रेड वेतन

जा सकता है।

अनुसूचिवाय

2400 रु.

(योधक)

2890 H N/11-5

(43)

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
------	------

रिमस्ट्रिंग द्वारा

रिमस्ट्रिंग :

ऐसे वार्ड ब्याच/गर्ल में से रिमस्ट्रिंग जिन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और 100/50 के बिस्तर वाले समेकित अस्पताल में दो मास का बुनियादी मेडिक पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त की हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, रिमस्ट्रिंग के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनकी ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा एक वर्ष से अधिक के लिए, कम न हो और यदि विहित की जाए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(13)	(14)
------	------

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

[फा. सं. आर. नौ. 1/10-मेड-दो-सी.आर.पी.एफ./एम.एच.ए.(पर्स-दो)]

अजय कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2011

G.S.R. 220.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in partial supersession of the Central Reserve Police Force (Combatised Para-Medical Posts) Recruitment Rules, 1995, in so far as they relate to the posts of the Assistant Sub-Inspector (Pharmacist), Assistant Sub-Inspector (Radiographer), Assistant Sub-Inspector (Laboratory Technician), Assistant Sub-Inspector (Electro Cardio Graphy Technician), Assistant Sub-Inspector (Operation Theatre Technician), Assistant Sub-Inspector (Dentist Technician/Dental Technician), Head Constable (Jr. X-ray Assistant), Head Constable (Laboratory Assistant), Head Constable (Nursing Assistant), Head Constable (Paramedic), Head Constable (Nurse or Auxiliary Nurse Mid-wifery), Head Constable (Electrician), Head Constable (Air Conditioning Plant Technician), Constable (Nursing Assistant/Ayah/Dresser), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Combatised Para-Medical Group "C" posts, in the Central Reserve Police Force, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Group "C" (Combatised Para-Medical Posts) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Assistant Sub-Inspector (Pharmacist)	552* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Rs. 5200—20200+ Grade Pay of Rs. 2800	Not applicable	Not applicable	Between 20 to 25 years. (Cut off date for age shall be the 1st August every year).
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(8)			(9)		(10)	
Essential :			Not applicable		Two years for direct recruits.	
(1) Intermediate or 10+2 or equivalent from a recognised Board or University; and						
(2) Two years Diploma or Degree in Pharmacy granted by an Institution of the Central Government or State Government or an Institution recognised by the Central Government or State Government; and						
(3) Should be registered as a "Pharmacist" under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).						
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made			
(11)			(12)			
By direct recruitment failing which by deputation/absorption.			Transfer on deputation or absorption :			
			Persons holding equivalent or analogous posts under the Central Government or State Government or Autonomous bodies and possessing the qualifications prescribed in column (8).			
			(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).			
			Note : For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an			

(12)

the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

On Deputation or Absorption :

Persons holding equivalent or analogous posts in the Central Government or State Government or Autonomous Bodies and possessing the qualifications : (1) Matriculation with Science as a subject or equivalent; and (2) Diploma or Certificate (Two years course in Radio Diagnosis, from an Institution of the Central Government or State Government or an Institution recognised by the Central Government or State Government.

The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

Note : For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—

Not applicable.

1. Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force —Chairman
- Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade), Central Reserve Police Force —Member
2. Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant Sub-Inspector (Laboratory Technician)	*28 (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Rs. 5200—20200 + Grade Pay of Rs. 2800	Not applicable	Not applicable	Between 20 to 25 years. (Cut off date for age will be the 1st August every year).

(8)	(9)	(10)
Essential :	Not applicable	Two years
(a) Matriculation with Science as a subject or equivalent from a recognised Board or University.		
(b) Diploma or Certificate in Medical Laboratory Technology granted by an Institution of the Central Government or State Government or an Institution recognised by the Central Government or State Government.		

(11)	(12)
20% by promotion 80% by direct recruitment.	Promotion : Promotion from amongst Head Constable (Laboratory Assistant) or Non-combatised Laboratory Assistant who have rendered not less than five years regular service in their respective grade(s) in the Central Reserve Police Force.

Note : If promotion or direct recruitment methods fail, vacancies will be filled up by on deputation or absorption.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation or absorption :

Persons holding equivalent or analogous posts in Central Government or State Government or Autonomous Bodies and possessing the qualifications prescribed in column (8).

The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration

(11)	(12)
By direct recruitment failing which by deputation or absorption.	Transfer on deputation or absorption : Persons holding equivalent or analogous posts under the Central Government or State Government or Autonomous bodies and possessing the qualifications prescribed in column (8). (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years). Note : For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force —Chairman 2. Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade), Central Reserve Police Force —Member 3. Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Assistant Sub-Inspector (Operation Theatre Technician)	21* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Rs. 5200—20200+ Grade Pay of Rs. 2800	Not applicable	Not applicable	Between 20 to 25 years. (Cut off date for age will be the 1st August every year).

(8)	(9)	(10)
Essential : (a) Matriculation with Science as a subject or equivalent from a recognised Board or	Not applicable	Two years

of Operation Theatre Assistant
Operation Theatre Assistant-cum-
sterile supply assistant training.

(11)

By direct recruitment failing which by deputation/absorption.

(12)

Transfer on deputation or absorption :

Persons holding equivalent or analogous posts under the Central Government or State Government or Autonomous bodies and possessing the qualifications prescribed in column (8).

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

Note : For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—

1. Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force —Chairman
2. Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade), Central Reserve Police Force —Member
3. Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force —Member

(14)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Head Constable (Junior X-ray Assistant)	4* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Rs. 5200—20200+ Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 20 to 25 years. (Cut off date for age will be the 1st August every year).

(8)

Essential :

(9)

Not applicable

(10)

Two years

- (a) Matriculation with Science as a subject or equivalent from a recognised Board or University; and
- (b) Diploma or Certificate of two years course in Radio diagnosis from an Institution of the Central Government or State Government or an Institution recognised by the Central Government or State Government.

2890 HA/11-8

(8)

Desirable :

Diploma in Medical Laboratory Technology granted by an Institution of the Central Government or State Government or an Institution recognised by the Central Government or State Government.

(11)

By direct recruitment failing which by deputation or absorption.

(12)

Transfer on deputation or absorption :

Persons holding equivalent or analogous posts under the Central Government or State Government or Autonomous bodies and possessing the qualifications prescribed in column (8).

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

Note : For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—

Not applicable.

1. Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force —Chairman
2. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade), Central Reserve Police Force —Member
3. Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Head Constable (Nursing Assistant)	*125 (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Non- Selection	Not applicable	Not applicable

(11)

(12)

Direct recruitment and 50% from deputation or Contractual basis from Army, other Central Para-Military Forces or Central or State Police organisations, State Government and Central Government Hospitals.

2. Head Constables having qualified Nursing Assistant or Advance medic course from Army or Central Para-Military Forces recognised Hospital or Institutions and also have experience as a Nursing Assistant in any Central Para-Military Forces for last five years may also be considered to fill the vacancies if required. However, such Head Constables (Nursing Assistant or Paramedics) should fill the vacancy(ies) only in circumstances when Head Constables (Paramedics) with Diploma in Pharmacy are not readily available, which will be temporary in nature and will revert back to their original cadre or Trade once repatriated from National Disaster Response Force.

3. The Army personnel who possess qualifications or successfully completed courses recognised by Army as equivalent to the educational qualifications prescribed for these posts of Paramedics will also be eligible for such posts provided that such courses or qualifications are duly approved and recognised as equivalent by any Central or State authority like All India Council of Technical Education.

Note : For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

As prescribed under column (11).

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for selection and confirmation) consisting of :—

Not applicable.

1. Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force —Chairman
2. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade), Central Reserve Police Force —Member
3. Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force —Member

90 HA/11-9

(272)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Head Constable (Electrician)	4* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Rs. 5200—20200+ Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 20 to 25 years. (Cut off date for age will be the 1st August every year).

(8)	(9)	(10)
Essential :	Not applicable	Two years
(a) Matriculation or equivalent from a recognised Board or University;		
(b) Diploma in Electrician's Trade from an Institution of the Central Government or State Government or an Institution recognised by the Central Government or State Government preferably from Government Polytechnic or Industrial Training Institute with certificate of competency.		

(11)	(12)
By direct recruitment failing which by transfer on deputation or transfer.	Transfer on deputation or transfer : Persons holding equivalent or analogous posts under the Central Government or State Government or Autonomous bodies and possessing the qualifications prescribed in column (8). (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years). Note : For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—	Not applicable.
Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force —Chairman	
Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade), Central Reserve Police Force —Member	
Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force —Member	

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—

Not applicable.

1. Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force —Chairman
2. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade), Central Reserve Police Force —Member
3. Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) *	(7)
15. Head Constable/ Steward	21* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-1 Rs. 5200—20200+ Grade Pay of Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 23 years. (Cut off date for age will be the 1st August every year).

(8)

(9)

(10)

1. Matriculation pass from a recognised Board; and
2. Diploma in Food and beverage services from a recognised Institution of Central Government or State Government.

Not applicable

Two years

ca. b. m. g. of (a) f. c. h. s. manage with hospital by management.

(11)

(12)

By direct recruitment failing which by deputation or transfer.

Transfer on deputation/transfer:

Persons holding equivalent or analogous posts in Central Government or State Government or Autonomous bodies and possessing the qualifications prescribed in column (8).

The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years). The maximum age limit for appointment by deputation shall be exceeding 50 years as on the closing date of receipt of application. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 50 years as on the closing date of receipt of application.

Note : For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :—

Not applicable.

1. Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force —Chairman
2. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade), Central Reserve Police Force —Member
3. Senior Medical Officer or Medical Officer, Central Reserve Police Force —Member

[F.No. R.IX.1/10-Med-II-CRPF/MHA (Pers.-II)]
AJAY KUMAR SINGH, Director (Pers.)

Circulated vide Mod B7c. Ltr. No. 9.11.11/12
11/4/12

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (1)

Appearing on Page Nos. 1445—1474

Dated 12-11-2011

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 308.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (योधक परा चिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 1995 को भागतः अधिक्रांत करते हुए जहां तक इनका संबंध सूबेदार मेजर (सिस्टर भार साधक), निरीक्षक (सिस्टर भार साधक), उप निरीक्षक (स्टाफ नर्स), निरीक्षक (आहार विद्), निरीक्षक (भेषजज्ञ), उप निरीक्षक (भेषजज्ञ), उप निरीक्षक (रेडियोग्राफर), उप निरीक्षक (भौतिक चिकित्साविद्), उप निरीक्षक (रक्त बैंक तकनीशियन) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल योधक परा चिकित्सीय पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' (योधक परा चिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

7. **सीधे भर्ती के लिए शारीरिक मानदंड.**—19-4-2006 तक यथारूप से शुद्ध किए गए भर्ती मैनुअल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती मैनुअल, 1975 के भाग 4 के अनुसार

(क) ऊँचाई : पुरुषों के लिए — 170 सेमी.

स्त्रियों के लिए — 157 सेमी.

(ख) सीना : पुरुषों के लिए — बिना फुलाए-80 सेमी. और फुलाने पर-न्यूनतम फुलाव 5 सेमी.

स्त्रियों के लिए — लागू नहीं

(ग) भार : पुरुष और महिलाओं के लिए — चिकित्सीय मानक के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में

(घ) दृष्टि : न्यूनतम दूरी दृष्टि बिना शुद्धि के अर्थात् बिना चश्मा पहने दोनों आंखों की 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।

(ङ) अभ्यर्थियों को अंतर्जान, सपाट पैर, स्कीत थिरा या तिर्यक आंखों वाला नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कोई ऐसी शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए जिसमें कर्तव्यों के पालन में व्यवधान हो।

(1)

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिसमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति;
अल्पकालिक सविदा सहित

प्रोन्नति :

ऐसे निरीक्षक (सिस्टर इन चार्ज) या गैर योद्धक सिस्टर इन चार्ज, जिन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी-अपनी श्रेणियों में से दो वर्ष से कम की सेवा न की हो।

टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दौ वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1-1-2006 या वह तारीख से जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक सविदा सहित) ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों में समतुल्य या सदृश पद धारण कर रहे हैं और इन अर्हताओं को रखते हों (1) इंटरमीडिएट या 10+2 या समतुल्य और उन्हें राज्य परिचर्या परिषद् की परीक्षा, साधारण परिचर्या तथा सविदा कार्य में 3½ वर्ष के अनुभव सहित अवश्य उत्तीर्ण करनी चाहिए। (2) केन्द्रीय व राज्य परिचर्या परिषद् में साधारण नर्स और सेविका के रूप में रजिस्ट्रीकृत।

पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1-1-2006 या वह तारीख से जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई थी, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके जहाँ सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहाँ यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

म, जगालैंड,
कश्मीर व
ई 155 सेमी.
गेगी।
कों के लिए

रैंक में

कए

लिए

किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों में समतुल्य या सदृश पद धारण कर रहे हैं अधिकारी और जो इन अर्हताओं को रखते हों (1) इंटरमीडिएट या 10+2 या समतुल्य और उन्हें राज्य परिचर्या परिषद् की परीक्षा, साधारण परिचर्या तथा प्रसूति विद्या कार्य में 3½ वर्ष के अनुभव सहित अवश्य उत्तीर्ण करनी चाहिए। (2) केन्द्रीय व राज्य परिचर्या परिषद् में साधारण नर्स और सेविका के रूप में रजिस्ट्रीकृत।

पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए इसके जहां सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

1. महानिरीक्षक/निदेशक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व —अध्यक्ष
पुलिस बल
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी), —सदस्य
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, —सदस्य
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
4. मैट्रन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. *उप निरीक्षक (स्टाफ नर्स) *गैर योद्धक कार्मिक जो पहले ही पद में सहायक मैट्रन/सिस्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें सिस्टर इन चार्ज के रूप में अभिहित किया जाएगा और वे	345* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय (योद्धक)	9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से नीचे। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. निरीक्षक (आहार विद्)	4* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसर्चितीय (यौधक)	9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	30 वर्ष से नीचे। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक :	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(1) केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (गृह विज्ञान/गृह अर्थ शास्त्र) जिसमें आहार पोषण एक विषय के रूप में हो या समतुल्य।		
(2) किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से आहार विद में डिप्लोमा या किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान (खाद्य और पोषण) में मास्टर डिग्री।		
(10)	(11)	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
(12)	(13)	
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता।	
1. महानिरीक्षक/निदेशक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व, —अध्यक्ष पुलिस बल		

- (1) इंटरमीडिएट या 10+2 या समतुल्य, और
 (2) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी संस्थान द्वारा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त भेषजी में दो वर्ष का डिप्लोमा या डिग्री
 (3) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पॉक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर ब्राह्म्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1-1-2006 या वह तारीख से जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके जहां सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)

(13)

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

1. महानिरीक्षक/निदेशक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व —अध्यक्ष
पुलिस बल
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यक चयन श्रेणी), —सदस्य
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, —सदस्य
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. *उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) *ऐसे गैर योद्धक कार्मिक जो पहले ही पद में कार्य कर रहे हैं, भेषजज्ञ श्रेणी-दो के रूप में अभिहित किया जाएगा और वे 9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे।	54* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय (योद्धक)	9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सिवाए इसके जहां सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

1. महानिरीक्षक/निदेशक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अंकुत्यक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. *उप-निरीक्षक (रेडियोग्राफर) *ऐसे गैर योद्धक कार्मिक जो पहले ही पद में कार्य कर रहे हैं, ज्येष्ठ रेडियोग्राफर के रूप में अभिहित किया जाएगा और वे 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. के वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे।	21* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अनुसूचितवीय (योद्धक)	9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से नीचे (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)

(8)

(9)

आवश्यक :

आयु : नहीं

दो वर्ष

(क) विज्ञान एक विषय सहित इंटरमीडिएट या 10+2 या समतुल्य; और

शैक्षणिक अर्हताएं : हां

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता ।

1. महानिरीक्षक/निदेशक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यक चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य
3. ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. उप निरीक्षक (फिजियोथेरपिस्ट)	4* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचितवर्गीय (योधक)	9300— 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता
(7)	(8)	(9)			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			
(10)	(11)				

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति;
(अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति :

ऐसे सहायक उप निरीक्षक (फिजियोथेरपिस्ट) में से प्रोन्नति जिन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी-अपनी श्रेणी (श्रेणियों) में कम से कम छः वर्ष नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों में समतुल्य या सदृश पद धारण कर रहे हैं अधिकारी और जो इन अर्हताओं को रखते हों : (क) विज्ञान एक विषय के

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(10)	(11)	

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति;
अल्पकालिक संविदा सहित

प्रोन्नति :

दोनों गैर योध्यक व योध्यक सहायक उप निरीक्षक/प्रयोगशाला तकनीशियन में से प्रोन्नति जिन्होंने सहायक उप निरीक्षक/प्रयोगशाला तकनीशियन की श्रेणी में कम से कम 6 वर्ष नियमित सेवा की हों।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति धर (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकायों में समतुल्य या सदृश पद धारण कर रहे हैं अधिकारी और जो इन अर्हताओं को रखते हों :

(क) विज्ञान एक विषय के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य;

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी संस्थान या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रयोगशाला प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र।

पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आभेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके जहां सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

7. Physical standard for direct recruitment.—As per Part IV of Recruitment Manual, Central Reserve Police Force, 1975 as corrected upto 19-4-2006

- (a) Height : For male - 170 Cms.
For Female - 157 Cms.
- (b) Chest : For male : Unexpanded - 80 Cms. Expanded - Minimum expansion 5 Cms.
For Female : Not applicable
- (c) Weight : For male and female : Proportionate to height and age as per medical standards.
- (d) Eye sight : The minimum distance vision should be 6/6 and 6/9 of 2 eyes without correction i.e. without wearing of glasses.
- (e) The candidates shall not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they shall possess high colour vision. They shall be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.
- (f) Relaxation : Relaxation shall be permissible in height and chest to the Scheduled Tribes and hill peoples as follows :
- (i) Height : Minimum height of candidates falling the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Laddakh, regions of J & K shall be 165 Cms. for Men. For Females the minimum height shall be 155 Cms. The minimum height for Scheduled Tribes shall be 162.5 Cms. for male and 150 Cms. for female.
- (ii) Chest : Relaxation in chest is applicable to Scheduled Tribes and hill people. The minimum chest for this category of personnel is as under :
- (a) Men belonging to hill areas specified in above para : 78-83 Cms.
- (b) Scheduled Tribes of all States/Union Territories : 76-81 Cms.

8. Physical Efficiency Test :

- (a) Race
- (i) For Male : 1 mile in 7.5 minutes.
- (ii) For Female : 800 Mtr. in 6 minutes.
- (b) Long Jump
- (i) For Male : 10 feet.
- (ii) For Female : 6 feet.
- (c) High Jump
- (i) For Male : 3 feet.
- (ii) For Female : 2.5 feet.

9. Medical fitness for promotion.—For combatised staff promotion from one post to another in any grade or rank or post included in the Schedule, individual shall be required to confirm to medical category shape-I as prescribed by the Government.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. *Subedar Major (Sister In Charge)	38* (2011)	General	Rs. 9300—	Selection	Not applicable
*The Non-Combatised personnel already working as Asstt. Matron/ Sister in charge in the post shall be designated as (Sister In Charge) and will draw their pay in the scale of pay of Rs. 9300— 34800 + Grade Pay Rs. 5400	*Subject to variation dependent on workload.	Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	34800+ Grade Pay of Rs. 4800		

4161 HA/11-3

8

(11)

any

pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)				(13)	
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :—				Not applicable.	
1. IG/Director (Medical), CRPF	—Chairman				
2. Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade), CRPF	—Member				
3. Senior Medical Officer or Medical Officer, CRPF	—Member				
4. Matron, CRPF	—Member				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. *Inspector (Sister In Charge)	50* (2011)	General	Rs. 9300—	Selection	Not applicable
*The Non-Combatised personnel already working as Ward Sister/ Sister in charge in the post shall be designated as Sister In Charge and will draw their pay in the scale of pay of Rs. 9300— 34800 + Grade Pay of Rs. 4800	*Subject to variation dependent on workload.	Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	34800+ Grade Pay of Rs. 4600		

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation (including short-term contract)	Promotion : Promotion from amongst Sub-Inspector (Staff Nurse) or Non-Combatised Staff Nurse who have rendered not less than 5 years regular service in their respective grade(s) in the Central Reserve Police Force. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade

(1)	(2)	(3)	(6)
nated as Staff Nurse and will draw their pay in the scale of pay of Rs. 9300—34800 + Grade Pay Rs. 4600.	workload.	Non-Ministerial (Combatised)	by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential :	Not applicable	Two years
(i) Intermediate or 10 + 2 or equivalent and must have passed the examination held by the nursing council with 3½ years course in General Nursing and Mid-wifery; and		
(ii) Must be registered with Central or State Nursing Council as a General Nurse and Mid-wife.		

(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :—	Not applicable.
1. IG/Director (Medical), CRPF	—Chairman
2. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade), CRPF	—Member
3. Senior Medical Officer or Medical Officer, CRPF	—Member
4. Matron, CRPF	—Member

6

(12)					
2. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade), CRPF			—Member		
3. Senior Medical Officer or Medical Officer, CRPF			—Member		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. *Inspector (Pharmacist) *The Non-Combatised personnel already working as in the post shall be designated as Pharmacist Grade-I and will draw their pay in the scale of pay of Rs. 9300—34800+ Grade Pay Rs. 4200.	10* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group “B”, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Rs. 9300—34800+ Grade Pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable
(7)	(8)		(9)		
Not applicable	Not applicable		Not applicable		
(10)	(11)				

By promotion failing which by deputation (including short-term contract)

Promotion :

Promotion from amongst SI (Pharmacist) or Non-Combatised Pharmacist with 5 years regular service in their respective grade(s) in the CRPF.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

On Deputation (including short-term contract) :—

Persons holding equivalent or analogous posts in Central Government or State Government or Autonomous bodies and possessing the qualifications (1) Intermediate or 10 + 2 or equivalent; and

(2) Two years Diploma or Degree in Pharmacy granted by an institution of the Central Government or State Government or an institution recognised by the Central Government or State Government.

(3) Should be registered as a "Pharmacist" under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.)

(11)

the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

On Deputation (including short-term contract) :—

Persons holding equivalent or analogous posts in Central Government or State Government or Autonomous bodies and possessing the qualifications (1) Intermediate or 10 + 2 or equivalent; and

(2) Two years Diploma or Degree in Pharmacy granted by an institution of the Central Government or State Government or an institution recognised by the Central Government or State Government.

(3) Should be registered as a "Pharmacist" under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.)

Note : For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :—

Not applicable.

- | | |
|---|-----------|
| 1. IG/Director (Medical), CRPF | —Chairman |
| 2. Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade), CRPF | —Member |
| 3. Senior Medical Officer or Medical Officer, CRPF | —Member |
| 4. Matron, CRPF | —Member |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. *Sub-Inspector (Radiographer)	21* (2011)	General	Rs. 9300—	Selection	Below 30 years.
*The Non Combatised personnel already working in the post shall be designated as Senior Radio-	*Subject to variation dependent on workload.	Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	34800+ Grade Pay of Rs. 4200		(Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

(11)

or State Government or Autonomous bodies and possessing the qualifications prescribed in Column No. 7.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.)

Note : For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :—

Not applicable.

1. IG/Director (Medical), CRPF —Chairman
2. Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade), CRPF —Member
3. Senior Medical Officer or Medical Officer, CRPF —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Sub-Inspector (Physiotherapist)	4* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatized)	Rs. 9300— 34800+ Grade Pay of Rs. 4200	Selection	Not applicable
			(8)	(9)	
Not applicable			Not applicable	NA	
(10)			(11)		
By promotion failing which by deputation (including short-term contract)			Promotion : Promotion from amongst ASI (Physiotherapist) with 6 years regular service in their respective grade(s) in the CRPF. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. *Sub Inspector (Blood Bank Technician)	4* (2011) *Subject	General Central Service, Group "B", Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Rs. 9300— 34800+ Grade Pay of Rs. 4200	Selection	Not applicable
*The Non-Combatised personnel already working in the post shall be designated as Blood Bank Technician and will draw their pay in the scale of pay of Rs. 9300—34800+ Grade Pay Rs. 4200.	to variation dependent on workload.				

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation (including short-term contract)	Promotion : Promotion amongst ASI/Laboratory Technician both Non-Combatised and Combatised having 6 years regular service in the Grade of Assistant Sub Inspector/Laboratory Technician. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. On Deputation (including short-term contract) :— Persons holding equivalent or analogous posts in Central Government or State Government or Autonomous bodies and possessing the qualifications : (1) Matriculation with Science as a Subject or equivalent. (2) Diploma or Certificate in Medical Laboratory Technology granted by an institution of the Central Government or State Government or an institution recognised by the Central Government or State Government. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.)

